5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेथ ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2010 जिला–नरसिंहपुर (आबकारी)

रिव्यू - 1479 - PBR/2010

मैसर्स छत्तीसगढ डिस्टिलरीज लिमिटेड,
खपरी, कुम्हारी जिला दुर्ग, छत्तीसगढ
—— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश द्वारा आबकारी कलेक्टर,
जिला नरसिंहपुर म.प्र.
...... अनावेदक

श्री. चतुर्वेदी अभिभाषक
द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत।
18-10-10
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 757/एक/2005 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेथ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि, आवेदक कम्पनी ओ.पी.स्प्रिट मदिरा का निर्माण कर शासकीय मद्य भाण्डागारों की मांग के अनुसार प्रदाय का कार्य करती है। कम्पनी द्वारा दिनांक 15.03.1997 को परमिट कमांक 2782 से 6600 प्रूफ लीटर ओ.पी.स्प्रिट मद्य भाण्डागार, नरसिंहपुर को भेजी गयी थी। यह मदिरा जब दिनांक 17.03.1997 को मद्य भाण्डागार, नरसिंहपुर में प्राप्त हुयी। तब मद्य भाण्डागार अधिकारी, नरसिंहपुर द्वारा उक्त मदिरा का भौतिक सत्यापन किया, तब ज्ञात हुआ कि 68.7 प्रुफ लीटर कम प्राप्त हुयी है। इस प्रकार कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा आवेदक कम्पनी को इस आशय एक कारण बताओ सूचना पत्र कमांक/आबकारी/ठेका/2000/1406 दिनांक 10.07.2000 को जारी कर यह बताया गया कि आपके द्वारा जो ओ.पी. स्प्रिट नरसिंहपुर को भेजा गया था। उसमें 55.5 प्रुफ लीटर की अधिक मार्ग हानि हुयी है। उक्त कारण बताओं सूचनापत्र का आवेदक कम्पनी द्वारा विधिवत रूप जबाव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1479–एक/04 जिला –नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.03.2016	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री पैनल अधिवक्ता श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 757–एक/2005 आदेश दिनांक 26.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1479–अध्यक्ष/2010 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 757–एक/2005 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.03.2010 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 1479–अध्यक्ष/2010 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

रिव्यू-1479. PBR/10 (नटबेहट)

स्वीकार किया जा सकता है :-

1- नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2-अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3- कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य